भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *215
13 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

लघु एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए धनराशि का संवितरण

***215. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) तथा लघु एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत संवितरित कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं से लाभ उठाने हेतु उद्यमियों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या उक्त योजनाओं में महिलाओं तथा हाशिए पर रह रहे समुदायों को सहायता प्रदान करने के प्रावधान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य में ग्रामीण उद्यमियों में इन योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजनाओं का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा मूल्य संवर्धन पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तर हेतु "लघु एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए धनराशि का वितरण" के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या *215 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित उद्योगों की स्थापना/विस्तार के लिए छोटे और मध्यम उद्यमों सहित सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को देश भर में प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

पीएमकेएसवाई योजना मुख्य रूप से लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ पहुंचाती है और पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं की शुरुआत से लेकर 28.02.2025 तक अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में 6198.76 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है ।

पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत ₹1155.296 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है, जिसमें से 28.02.2025 तक 20 पात्र मामलों में एमएसएमई को ₹13.266 करोड़ वितरित किए गए हैं।

पीएमएफएमई योजना मुख्य रूप से सूक्ष्म उद्यमों को लाभ पहुंचाती है और 28.02.2025 तक योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ₹ 2704.61 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा जारी किया जा चुका है।

(ख): पीएमकेएसवाई के अंतर्गत पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं :

- आवेदक की संयुक्त निवल संपत्ति सामान्य क्षेत्रों से प्रस्तावों के संबंध में मांगी गई अनुदान-सहायता के कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए तथा दुर्गम क्षेत्रों या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमोटरों या एफपीओ या स्वयं सहायता समूहों से प्रस्तावों के मामले में मांगी गई अनुदान-सहायता के कम से कम बराबर होनी चाहिए।
- बैंक से प्रस्ताव के लिए विशिष्ट सिद्धांत रूप में/अंतिम आवधि ऋण स्वीकृति पत्र।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से विस्तृत बैंक मूल्यांकन नोट।
- सामान्य क्षेत्रों से प्रस्तावों के संबंध में कुल परियोजना लागत का कम से कम 20% और दुर्गम क्षेत्रों या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमोटरों या एफपीओ या एसएचजी के प्रस्तावों के मामले में कुल परियोजना लागत का 10% राशि के लिए बैंक से सावधि ऋण।
- सामान्य क्षेत्रों से प्रस्तावों के संबंध में कुल परियोजना लागत का कम से कम 20% प्रमोटर इक्विटी का निवेश तथा दुर्गम क्षेत्रों या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या एफपीओ या स्वयं सहायता समूहों से प्रस्तावों के मामले में कुल परियोजना लागत का 10% प्रमोटर इक्विटी का निवेश।
- योजना के अंतर्गत अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर एक संस्था से केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा ।
- खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफटीएल) और खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी) योजनाओं को छोड़कर मौजूदा सुविधा(ओं) के विस्तार/उन्नयन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- वे संस्थाएं या संस्थाओं के प्रमोटर जिन्होंने मंत्रालय की किसी अन्य योजना (सीईएफपीपीसी योजना के अलावा कोई अन्य योजना) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की है, वे पिछली परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से दो वर्ष बाद ही अनुदान सहायता के लिए पात्र होंगे। परंतु कोई संस्था या संस्था के प्रमोटर 10 वर्ष की अवधि के दौरान दो से अधिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।

पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं :

श्रेणी	खंड	न्यूनतम बिक्री (करोड़ रुपए में)	न्यूनतम निवेश (करोड़ रुपये में)	बिक्री प्रोत्साहन के लिए न्यूनतम सीएजीआर %
श्रेणी-I	खाने के लिए तैयार / पकाने के लिए तैयार	500	100	10
	प्रसंस्कृत फल और सब्जियाँ	250	50	10
	समुद्री उत्पाद	600	75	5
	मोत्ज़रेला पनीर	150	23 करोड़-10 एमटीपीडी	15
श्रेणी-II	अभिनव/जैविक उत्पाद जिनमें मुक्त श्रेणी के अंडे, अंडा उत्पाद, पोल्ट्री उत्पाद शामिल हैं	क. पंजीकृत उद्यमी ख. वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्येक अभिनव/जैविक उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित न्यूनतम 1 करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य प्राप्त किया गया । ग. जैविक उत्पाद के लिए आवेदक को एपीडा (एनपीओपी प्रमाणन) के साथ पंजीकृत होना चाहिए		
श्रेणी-III	• केवल भारतीय ब्रांड ही भारत में निर्मित उत्पादों के साथ विदेश में ब्रांडिंग और विपणन के लिए कवर किए जाते हैं; • ब्रांडिंग और विपणन का कार्य आवेदक द्वारा सीधे या उसकी सहायक कंपनी या भारत/विदेश में किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।			
मिलेट आधारित उत्पाद	बड़ी इकाई - 250 करोड़	एमएसएमई - 2 करोड़		
यह योजना केवल उन उत्पादों की बिक्री के लिए लागू है जिनकी **विनिर्माण प्रक्रिया की पूरी श्रृंखला (प्राथमिक प्रसंस्करण सहित) भारत में होती है** । यह शर्त विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले एडिटिव्स, फ्लेवर और खाद्य तेलों पर लागू नहीं होती है। इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन पहले 4 वर्षों में 5%-10% और बाद के वर्षों में 4%-9% के बीच भिन्न रूप से होता है।				

वैयक्तिक सूक्ष्म उद्यमों को सहायता देने के लिए पीएमएफएमई के अंतर्गत पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं :

- लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% होना चाहिए तथा शेष राशि बैंक से ऋण के रूप में ली जानी चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता पर ध्यान दिए बिना आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक/उद्यम इस योजना के अंतर्गत बैंक ऋण के लिए पात्र है, भले ही उसने सरकार की अन्य सब्सिडी से जुड़ी योजनाओं में बैंक ऋण लिया हो। आवेदक ब्याज आर्थिक सहायता और अन्य सरकारी प्रायोजित योजनाओं के साथ टॉप अप अभिसरण के लिए भी पात्र है। ऋण देने वाले बैंक लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत करने पर विचार कर सकते हैं। परंतु, कार्यशील पूंजी पर कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी ।
- तंगी में तथा बैंकों द्वारा पुनर्गठन के लिए अर्हता प्राप्त मौजूदा इकाइयों के आवेदक/उद्यमी इस योजना के अंतर्गत इकाई के उन्नयन/विस्तार के लिए पात्र हैं।

(ग): महिलाएँ और सीमांत समुदाय मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं। पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई योजनाओं के अंतर्गत, कुल निधि का 8.3% अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और 4.3% जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के लिए निर्धारित किया गया है ।

पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अंतर्गत, एससी/एसटी आवेदकों के लिए रियायतें निम्नानुसार प्रदान की जाती हैं :

- निवल संपत्ति की आवश्यकता को मांगे गए अनुदान के बराबर राशि तक कम किया गया, जबकि सामान्य जनता के लिए यह 1.5 गुना है;
- सामान्य जनता के लिए 20% की तुलना में सावधि ऋण की आवश्यकता को पात्र परियोजना लागत के 10% तक कम किया गया;
- सामान्य जनता के लिए 20% की तुलना में इक्विटी आवश्यकता को पात्र परियोजना लागत के 10% तक कम किया गया;
- सामान्य जनता के लिए अर्हता स्तर 60 की तुलना में 100 में से 45 तक कम किया गया;
- अनुदान की मात्रा को पात्र परियोजना लागत के 50% के बढ़े हुए स्तर पर रखा गया है, जबकि सामान्य जनता के लिए यह 35% है (संबंधित उप-योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम सीमा के अध्यधीन);
- सीईएफपीपीसी परियोजनाओं के संबंध में न्यूनतम पात्र परियोजना लागत की आवश्यकता को तीन करोड़ रुपये की तुलना में कम करके एक करोड़ रुपये कर दिया गया है [अन्य योजनाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित नहीं है]

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत दिनांक 28.02.2025 तक महिला उद्यमियों द्वारा कुल 156 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इन परियोजनाओं को ₹273.17 करोड़ की सहायता राशि जारी की गई है। इसी तरह, एससी/एसटी श्रेणी के उद्यमियों के लिए 110 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इन परियोजनाओं को ₹247.17 करोड़ की सहायता राशि जारी की गई है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। दिनांक 28.02.2025 तक, स्वीकृत कुल 1,27,758 ऋणों में से, 55,963 ऋण महिला उद्यमों के लिए स्वीकृत किए गए हैं, 10,929 ऋण एससी श्रेणी के लिए स्वीकृत किए गए हैं और 6255 ऋण एसटी श्रेणी के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, एसएचजी सदस्यों को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी सहायता प्रदान की जा रही है । कुल 3,27,174 एसएचजी सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी के लिए मंजूरी दी गई है।

(घ): ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जागरूकता अभियान जैसे समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स, प्रदर्शनियां और एक्सपो, मिलेट मेले, क्रेता-विक्रेता बैठकें, जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाएं आदि के माध्यम से योजना जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिसका उद्देश्य आम जनता की जागरूकता बढ़ाना और आंध्र प्रदेश सहित योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी भागीदारी बढ़ाना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रोत्साहन गतिविधियों की योजना के अंतर्गत , मंत्रालय ने हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान देश भर में सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, प्रदर्शनी आदि जैसे 120 कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। आंध्र प्रदेश में, मंत्रालय द्वारा ऐसे 2 कार्यक्रमों को सहायता दी गई है।

(ङ): पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत दिनांक 31.12.2024 तक कुल 3,31,018 रोजगार सृजित किए गए हैं।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं की शुरुआत से लेकर अब तक 1608 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 28.02.2025 तक 1103 परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं। चालू परियोजनाओं से 4.25 लाख रोजगार सृजित हुए और 244.94 लाख मीट्रिक टन की संरक्षण/प्रसंस्करण क्षमता सृजित हुई।

पीएमएफएमई के अंतर्गत 28.02.2025 तक कुल 3,83,274 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं।

*****